(120)

R. 5321-2016

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0

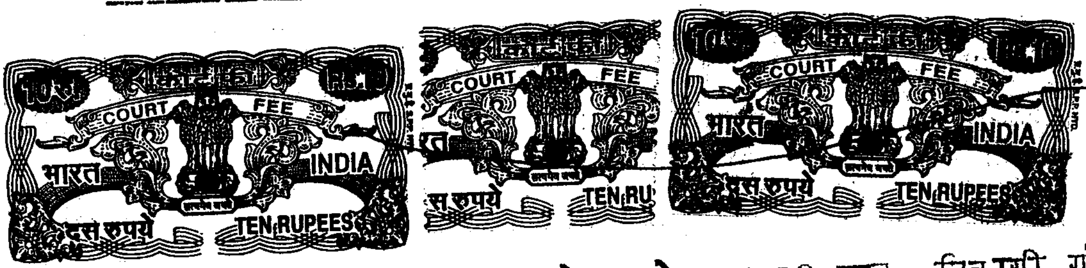

Rs. 30/-

गंगा प्रसाद पटेल पिता राममनोहर पटेल उम्र 80 साल, निवासी गोरगांव 165, तहसील रायपुर कर्चु0, वृत्त मनिकवार, जिला रीवा म0प्र0

——————— आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

1. चिन्तामणि पटेल पिता लक्ष्मीनाथ पटेल निवासीगोरगांव 165, तहसील रायपुर कर्चु0, वृत्त मनिकवार, जिला रीवा म0प्र0

——अनावेदक/गैर निगरानीकर्तागण

2. शासन म0प्र0

आवेदक अभिभाषक श्री कुन्देश्वर शुक्ला एड द्वारा पेश/ 14.7.16
14.7.16

राजस्व निरीक्षक मंण्डल मनिकवार तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0 के द्वारा प्र0क्र0 128/14-15 मे पारित आदेश दिनांक 16.5.2016 के विरूद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0

महोदय,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्यः-

यह कि, आराजी नम्बर 1508 रकबा0.06हे. एवं आराजी नम्बर 1513 रकबा0.113हे. कुल किता दो साकिम गोरगांव, प0ह0गोरगांव, रा0 नि0मं0मनिकवार., द्वारा अनावेदक कृमांक 1 के आवेदन किये जाने पर उक्त आराजी का सीमांकन पर सरहददी कृषकों द्वारा घोर आपत्ति कीगयीऔर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5321–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–5–2017	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। राजस्व निरीक्षक मण्डल मनिकवार तहसील रायपुर कर्चुलियान रीवा के आदेश दिनांक 16–5–2016 की सत्यापित प्रति एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक गंगाप्रसाद को विधिवत सूचना जारी हुई है तथा आवेदक की उपस्थिति में सीमांकन किया गया है। आवेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर राजस्व निरीक्षक ने आवेदक की आपत्ति का निराकरण कर सीमांकन की पुष्टि की है। राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई कार्यवाही में विधि विपरीत कार्यवाही नहीं की गई है। जहां तक आवेदक द्वारा उठाये गये आपत्ति का प्रश्न है सीमांकन से किसी व्यक्ति को स्वत्व प्राप्त नहीं होता है मात्र सीमा का ज्ञान होता है। आवेदक चाहे तो स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस. एस. अली) सदस्य	